

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या 71/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम पुनवा कुंआर 60/0 डिग्रि पादर

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा नोस्ट्रे, थाना नं० 346 खाता नं० 62 खेसरा नं० 329 रकबा 0.525 से संबंधित आपके नाम से हो 0 नं० पंजी भाग के पृष्ठ 25/10 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जाँचोपरांत संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 22/06/2016 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त रिटर्न 1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा/भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमिंदारी रसीदों, फॉर्म सरकार में जमींदारी निहीत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों, निर्गत परवाना एवं ठोस साक्ष्यों का मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो के साथ अधोहरताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि:-

मुहर

स्थान:-



4/5.06.16
अंचल अधिकारी
मनातू पलामू

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या.....71...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम

पुलगा कुंआर 6/0 डिग्र 4149

एतद नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा.....नेरुली....., थाना नं० 346 खाता नं० 62 खेसरा नं० 329 रकबा 0.52 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०..... पंजी भाग के पृष्ठ 25/10 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 12/06/2016 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमिंदारी रसीदों, फॉर्म सरकार में जमींदारी निहीत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों, निर्गत परवाना एवं ठोस साक्ष्यों का मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

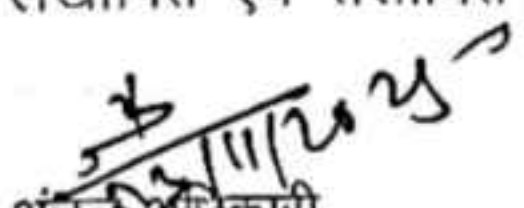
इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि:-

मुहर

स्थान:-

11.5.2016
अंचल अधिकारी
मनातू पलामू

आदेश की सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-नौडीहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०- 2, प्लॉट सं०- 329/1 कुल रकबा 0.52 ए० पर फूलवा कुवंर पिता टिबर यादव के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 197/2002-03 के अन्तर्गत मौजा- नौडीहा थाना नं०- 346 के अंतर्गत उक्त खाता सं०- 2, प्लॉट सं०- 329/1 रकबा 0.52 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत फूलवा कुवंर पिता टिबर यादव के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं० 25/10 पर दर्ज होकर दिनांक 22.01.2012 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्यवाई.....<u>समाप्त</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

मेना में, अंगल अधिबारी
मनाह, पलायन।

विषय :- अवेध / अवेधस्थ अमावसी के मा १०
का ऑल प्रारिदन ।

महागल,

उपनिमत निमत के अंगल में बुझा है कि मोंना
नौडिहा में आरु राजरु राजाजान एवं नमशा का मिथान
अंगल अमीन के खान स्थलील ऑल किला-। ऑल में
पापा कि जो अंगल अंगल से २ एल्लो ३२१/१ बुझ
रुका ०.५२२ पर श्री फूलका कुंवर पिता रिबर था ३३
के द्वारा जोत-होड़ किला आ रहा है। उनके द्वारा ऑल के
दौरान अवेधस्थी पन्ना एवं निर्गत अवेध मस्तुत किला
गया है, जिससे पना पलायन है कि अनुगणल पदाधिकारी
के अवेधस्थी वरि से १९७/०२-०३ के अंगल दिनांक
के मोंना नौडिहा पाना १०३५६ के अंगल उम्र अंगल
से २ एल्लो ३२१/१ रुका ०.५२२ की अवेधस्थी ३५४
अंगल फूलका कुंवर पिता रिबर था ३३ के नाम से हुआ है,
जिसका अमावसी मोंना नौडिहा के मांग पजी १२ के पेज
नं १५/१० पर इसे होड़ वरि २५/१२ तक अवेध निर्गत हो
रहा है। इस प्रकार उम्र अमावसी अवेधस्थ / अवेध
प्रतीत नही होता है।

अतः उम्र अमावसी के अवेधस्थ
अवेध अमावसी से मुक्त किला आ सकता है।

(३)
रुका

{ दिवाकरभाजन
- वीरेन्द्र शिवा-
२१० ३० नि

सेवा में,

ऑनलाइन बाजारगरी

पनाम्, यलाम्,

विषय:- कावेरि / मंडोहासपुर अमानंदी वेशक 71/20/6-17 का
ऑन प्रतिवेदन व संवत्त में।

महाशय

अपर्युक्त विषय के अर्थ में आफलाइन माँज पंजी-१
के अवलोकन चक्रांतर थागा कि माँज पंजी-१ के पेज नं.
२१/० पर फुलवा कुंवर पिता- हिवर आदप के नाम से माँज
प्रगम है। पंजी-१ के अनुसार यमि का विवाह इस प्रकार
है:-

<u>सौजा</u>	<u>प्लाना</u>	<u>लॉट</u>	<u>रकबा</u>	<u>परिवर्तन के लिए अधिकार</u>
मीडिया	2	329/1	0.5250	Settlement case NO. 197/2002-03 by order opened order S.P.O Medinagar.

प्रतिवेदिता भूमि का श्रद्धागत रसीद दिनांक - 22/1/12 को निर्गत
दर्ज है। रसीद संख्या - 4968206, paid. ~~रु. 2000~~, दर्ज है।
भूमिधारी श्रेष्ठ से भूमि बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व
दस्तावेज की मीमांसा की गई है और अब तक आपात
है। जमका कार्यालय से सूचना निर्गत कर भूमि
बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व दस्तावेज की मीमांसा की
जा सकती है, ४ तत्पश्चात् अनुरोध कार्रवाई विभा
जा सकता है।

॥ अन्य प्रतिवेदन महाशय को सादर स्मार्ति ।

विश्वात्मजान
अगिह कुं रजकु
रा० प्र० नि०
हल्लम शा॥

18/04/23
R. S. L. + C. I.

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम 0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
14.12.22	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।	
22.12.22	अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन, जमाबंदी/मुक्त जांच प्रतिवेदन की जांच में अभिलेख दिनांक 02.01.23 के तहत	अंचल अधिकारी, मनालू।
02.11.23	अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन, जमाबंदी/मुक्त जांच प्रतिवेदन की जांच में अभिलेख दिनांक 12.01.23 के तहत	

12.11.23

कमिश्नर दफ्तार में जाय शक्ति का
पूरा जाय शक्ति के मांग दो
कमिश्नर सिंग 26.04.23 को रखें


कमिश्नर दफ्तार में
जाय

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।


अंचल अधिकांरी,
मनातू।

अभिलेख बाद संख्या-

71/16-512

बाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियाँ की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- डोडीहा थाना- 346 खाता संख्या- 2 प्लॉट संख्या- 329 रकबा- 0.52 एकड़ की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 25/4 पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

कुलवा डोडी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनध

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :-

फुमा-कुंज, W/O
टिबर-24/9, हा. मोडीहा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मोडीहा	346	2	329	0.52 ए०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-25/4 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2002-03

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-

6. किस संक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- S DO S. R. J.

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूवदोयस्ती - 197/02-03)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/वन्दोयस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	प्रसूली वर्ष
7	49682-6	22/1/12	02003